न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मोहकमसिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2023 रे.वाद
दायर दिनांक – 18/01/2023
निर्णय दिनांक – 27/01/2026

अनवान

1. अणछी पत्नी देवा जाति गुर्जर निवासी जीवा खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गटु पत्नी भोजा जति गुर्जर निवासी जीवा खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोपीलाल पिता गेना जाति गुर्जर निवासी जीवा खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

––वादीगण

बनाम

1. पारस पिता देवा जाति गुर्जर निवासी जीवा खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राजु पिता पारस जाति गुर्जर निवासी जीवा खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. तहसीलदार, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री उग्रप्रतापसिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीगणो की सयुक्त खातेदारी भुमि मोजा ग्राम खाखरडा पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की खाता स० 98 आराजी न० 884, रकबा 0.1800 हैक्टेयर व खाता स0 240 खसरा स० 885 रकबा 0.3100 हेक्टेयर भुमि है। जो वादीगणो के स्वामित्व एवं आधिपत्य मे है। जिस पर वादीगणो का कब्जा आधिपत्य है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे जिसके खाता स० 98 आराजी न० 884, रकबा 0.1800 हैक्टेयर मे वादी स० 1 व 3 का 1/2–1/2 हिस्सा निहीत हैं व खाता सक 240 खसरा स० 885 रकबा 0.3100 हेक्टेयर भुमि में वादी स० 1 का 23/58 हिस्सा व वादी स० 2 का 6/29 हिस्सा व वादी स० 3 का 23/58 हिस्सा निहीत एवं मोके पर भी उसी हिसाब से काबिज है एवं बाप दादा के समय से ही वादीगण कास्त करते आ रहे है। दिनाक 17/06/22 से 10 दिनो पुर्व वादीगण व वादीगण के परिवार के लोग कही बाहर सामाजिक कार्य से बाहर गये हुये थे। तो हमारे पिछे से हम वादीगण की बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके प्रतिवादी स० 1 व 2 ने उक्त भुमि में स्थित पेडो को काटकर वहा दिवार व कमरे का निर्माण कार्य करने लग गये व निर्माण

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कार्य पेढी लेवल तक कर दिया। हम वादीगणो को जानकारी मिलते ही हम वादीगण तुरन्त मोके पर गये व प्रतिवादी स० 1 व 2 को निर्माण कार्य करने से रोका। लेकिन प्रतिवादी स० 1 व 2 नहीं माने व दिवार व कमरे का निर्माण कार्य को नहीं रोका। वादीगणो ने प्रतिवादी स0 1 व 2 को दिनाक 17/06/2022 से 10 दिनो पुर्व मोके पर निर्माण कार्य बंद करने को कहा, लेकिन प्रतिवादीगण नही माने व मोके पर निर्माण कार्य कर रहे है। इस हेतुक यह वाद दिनाक 17/06/2022 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगणो का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की शाश्वत् निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि पेरा स० 1 में वर्णित आराजियात जो ग्राम खाखरडा तह० देवगढ़, जिला राजसमन्द मे होकर वाके है के खाता स० 98 आराजी न० 884, रकबा 0.1800 हैक्टेयर व खाता स0 240 खसरा स० 885 रकबा 0.3100 हेक्टेयर भूमि होकर भुमि पर प्रतिवादी स० 1 व 2 उक्त भुमि पर निर्माण, कब्जा, खुर्द–बुर्द या परिवर्तन परिवर्धन नहीं करे और ना ही किसी नोकर, रिश्तेदार या ऐजेण्ट से उक्त कृत्य करवाये। दौराने कार्यवाही उक्त भुमि मे कोई निर्माण कार्य कर दे तो आदेशात्मक आज्ञप्ति से पुर्ववत स्थिति बहाल की जाए व उसे ध्वस्त कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 03 भूमिधारी पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

वादपत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु वादपत्र के आधार पर अवधारणीय बिन्दु का निर्धारण किया गया हैः–

1. वादीगण ग्राम खाखरड़ा पटवार क्षेत्र कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 98 आराजी संख्या 884 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 240 आराजी संख्या 885 कुल रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि कि विधिक अभिधारी होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने हेतु वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गयें।

हमने योग्य अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वादीगण वादग्रस्त आराजीयात की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) अनुसार अभिधारी है। प्रतिवादीगण का प्रवेश अवैध एवं बिना किसी विधिक आधार

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

का प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा पहुंचाना, कानूनन अतिक्रमण है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप में यह पाता हूँ कि वादी अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहा है। इसलिए दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खाखरड़ा पटवार हल्का कालेसरिया खाता संख्या 98 आराजी संख्या 884 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 240 आराजी संख्या 885 कुल रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

27/1/26

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द